"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2010—श्रावण 7, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 2-115/दो-गृह/रापुसे/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित उप निरीक्षक कार्टोग्राफर/फोटोग्राफर/एम. ओ. बी.) सेवाओं में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित उप निरीक्षक कार्टोग्राफर/फोटोग्राफर/एम. ओ. बी.) सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

    (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.– इस नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों:–

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियम–6 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती के प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा गठित चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम–11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक मापतौल तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;

(ङ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, साक्षात्कार;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमो से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित उप निरीक्षक कार्टोग्राफर/फोटोग्राफर/एम.ओ.बी.) सेवा;

(ठ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल;

(ड) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।

3. **विस्तार तथा प्रयोज्यता.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नालिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहें हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या में समय समय पर स्थाई या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **चयन समिति.**– (1) इस उप–नियम के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा:–

(1) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित पुलिस महानिरीक्षक – अध्यक्ष

(2) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित दो पुलिस उप–महानिरीक्षक – सदस्य

परन्तु यह कि, चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा। पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में समकक्ष श्रेणी से एक अधिकारी को रखा जा सकेगा।

(2) उप–समितियां.– शारीरिक नापतौल तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा एवं नापजोख रिकार्ड करने के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उप–समितियां बनाई जा सकेंगी। प्रदर्शन/मूल्यांकन के रिकार्ड संधारण की प्रमाणिकता के लिए इस समिति के सदस्य उत्तरदायी होंगे। चयन समिति उपयुक्त आवश्यक मामलों में पुनः नापजोख करने के लिए स्वतंत्र होगी।

7. **भर्ती की पद्धति.**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नालिखित पद्धतियों द्वारा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा, आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती करके;

(ख) अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो की इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, मूल हैसियत में धारण करते हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में वर्णित प्रतिशत से अधिक नही होगी।

(3) इन नियमो के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हे भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन पद्धतियों से भिन्न जो उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसी पद्धति अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

(5) भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को, चयन प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु शासन द्वारा विहित किए गए प्रारुप में आवेदन पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, (अपराध अनुसंधान विभाग), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को प्रस्तुत करना चाहिए।

(6) अभ्यर्थी को भर्ती हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप में विशिष्ट रूप से उस पद के नाम का उल्लेख करना होगा, जिसमें भर्ती के लिए वह इच्छुक है। संयुक्त भर्ती प्रक्रिया की स्थिति में, एक अभ्यर्थी एक पद हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी। ऐसे कृत्य पर अभ्यर्थी को शासन के अधीन, नियुक्ति (नियोजन) में या सेवा, में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा परिणामतः उसकी सेवाएं तत्काल, बिना कोई सूचना दिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(8) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

(एक) शारीरिक प्रमाप का मानः– अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम–9 के उप–नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणीः– शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(दो) आवेदन प्रपत्रों के जमा करने के समय ही दस्तावेजों की जांच भी पूर्ण कर ली जाएगी तथा इनके सही पाए जाने पर,संबंधित अभ्यर्थियों का शारीरिक नापजोख, नियम 9 (3) के (क) से (घ) के अनुसार (दृष्टि जॉच एवं ऑखो से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) तत्काल ही किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया के अग्रिम प्रक्रम में उपस्थित होने हेतु अनुमति पत्र उन अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, जो शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए गए हों।

(तीन) शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा।

(चार) शारीरिक दक्षता परीक्षाः– तीन किलो मीटर दौड़/चाल–पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 30 मिनिट एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 मिनट में निर्धारित है।
यह स्पर्धा प्रकृति में अर्हकारी होगी.–

शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आयोजित शारीरिक नापजोख नियम 9 (3) के खण्ड (क) से (घ) के अनुसार पुनः किया जाएगा।

वे अभ्यर्थी जो अर्हित होंगे तथा तीन किलो मीटर की दौड़/चाल की स्पर्धा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करते हैं, वे ही साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।

यह स्पर्धा प्रकृति में अर्हकारी होगी एवं उपरोक्त स्पर्धाओं के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

(पांच) साक्षात्कार.– साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

(छ.) बोनस अंक.– अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित विशेष योग्यताओं को रखना आवश्यक है, प्रत्येक योग्यता हेतु 10 अंक दिए जाएंगे। तथापि, बोनस अंक कुल मिलाकर 20 से अधिक

नहीं होंगे अर्थात् दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी बोनस अंक केवल 20 ही देय होंगे। यह बोनस अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के अतिरिक्त होंगे।

(क) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र ----- सभी पदों के लिए

(ख) किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी/विडियोग्राफी में 03 वर्ष का व्यवहारिक कार्य अनुभव -----उपनिरीक्षक (फोटोग्राफर) हेतु

(ग) छ.ग. शासन की मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर ग्राफिक्स साफ्टवेयर में सर्टीफिकेट/डिप्लोमा -----उपनिरीक्षक (कार्टोग्राफर) हेतु

8. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियॉ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में यथा विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

9. **सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्ते.**–(1) अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

10.

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो पुलिस विभाग में किसी भी पद पर कार्य कर रहे हों या कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों केवल वे ही उप–निरीक्षक (एम.ओ.बी.) के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

(दो) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक (स्थानीय) निवासी होना अनिवार्य है।

(तीन) अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) **आयु.**– (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्षों तक शिथिल की जाएगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों की भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों किन्तु जो शासकीय सेवा में कार्यग्रहण हेतु अन्यथा निरर्हित न हो उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी:–

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– पद "छटनी किए गए सरकारी कर्मचारी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संघटक इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने की अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरुप, या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई है या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार नामांकित किए गए हों, और जिन्हेः–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है, जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों;

(4) ऐसे अधिकारी जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हों;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 वर्षों तक शिथिल की जाएगी।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक के लिए शिथिल की जाएगी ।

(छ) शहीद राजीव पाण्डेय पुरूस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरूस्कार, प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमींशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हए शिथिल की जाएगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

टिप्पणी:–(1) उपर्युक्त खण्ड (ग) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतो के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छंटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी।

(3) **शारीरिक अर्हता**.– अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं होनी आवश्यक होगी:–

(क) ऊँचाई : 168 सेंमी या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)
153 सेंमी या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिए)

(ख) सीना : बिना फुलाये 81 सेंमी
फुलानें पर 86 सेंमी.

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलानें में कम से कम 5 सेंमी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी)

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नही होना चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी में "नॉक–नी", "फ्लेट फुट" नही होना चाहिए। नॉक–नी एवं फ्लेट फुट संबंधी मांनदण्ड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए। ऑखो की दृष्टि बिना चश्में के एक ऑख की 6/6 तथा दूसरी ऑख की 6/9 से कम नही होनी चाहिए। मुख्य रंगो का भेद करनें में अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए।

(4) **शैक्षणिक अर्हताएं.**–अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शाए अनुसार सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए:

परन्तु यह कि अपवादित मामलो में, समिति नियुक्ति प्राधिकारी की संस्तुति पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित कोई भी शैक्षणिक अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए उचित ठहराते हों।

परन्तु यह भी कि वे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हैं किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो शासन के द्वारा विशिष्टतः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, डिग्री प्राप्त की है, को भी समिति के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए विचार में लिया जा सकता है।

10. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न को, चयन समिति द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन उपस्थिति के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नही किया जाएगा।

12. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**–(1) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:**–सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा ऐसे अन्तरालों में होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करें।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती:**–(एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालो से किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें।
(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उन अभ्यर्थियों के लिए जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार पद आरक्षित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम नियम–13 में विनिर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हे प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उप–नियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) शासन के निर्देशानुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% समस्तर एवं प्रभागवार (होरिजेन्टल) आरक्षण रहेगा।

परन्तु विभाग केबिनेट की पूर्व अनुमति से नियुक्ति के प्रतिशत को 10% तक कम कर सकेगा।

13. **समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि समिति निर्धारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त स्तर के अनुसार अर्ह नही हैं, किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं। विद्यमान रिक्तियों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नही हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) सीधी भर्ती के लिए (उपनिरीक्षक कार्टोग्राफर/फोटोग्राफर/एम. ओ.बी.) की अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) साक्षात्कार तथा बोनस अंकों में अभिप्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी। नियुक्तियॉ पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जाएगी।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर विनिश्चित् की जाएगी, यदि जन्मतिथि भी समान हो तो उनके रोल नम्बर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जारी की गई चयन सूची इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य होगी।

15. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.**— (1) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा। सफल अभ्यर्थी, जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन तथा चिकित्सीय परीक्षण में अनुकूल पाए जाने पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, निर्दिष्ट स्थान तथा दिनॉक पर उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन–सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव का आदेश जारी कर सकता है, जिसका नाम गुणागुण–सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे इस प्रस्ताव के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया गया है।

(2) प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर, प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा यथा विहित वर्दी की अनुमानित लागत और सुरक्षा निधि (काशन–मनी) जमा करना होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल सुरक्षा निधि (काशन–मनी) जमा करना होगा।

(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जाएगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

16. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में वर्णित सदस्य होंगे। तथापि, यदि विभागीय पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नामांकित किए गए अन्य सदस्यों में यदि कोई सदस्य

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो समतुल्य रेंक के एक और अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढाई जाएगी।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(3) ऐसे पदों में, जिसमें अनुसूची–दो में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिशतता 25% या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16% तथा 23% रिक्त स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जों नियम–17 के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(4) आरक्षित रिक्तियों में, पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

17. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होनें उस वर्ष की एक जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षो की सेवा चाहे (स्थानापन्न या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो, जितनी कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट है और जो उप–नियम (2) के उपबंधो के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों।

(2) उन मामलों में जहॉ पदोन्नति उपयुक्तता के अध्यधीन रहतें हए वरिष्ठता सह–योग्यता के आधार पर अथवा जिनमें अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ कर, वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहॉ कोई भी विचारण क्षेत्र नही होगा। प्रत्येक संवर्ग के केवल उतनी ही संख्या में शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त हो।

18. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर उल्लेखित नियम–17 में निर्धारित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो, यह सूची, चयन सूची के तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25% व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता के आधार पर होगा जिस पर गुणागुण तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर सम्यक ध्यान रखा जाएगा।

(3) ऐसी चयन सूची को तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, उनकी सेवा अथवा पद में, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में वर्णित है, उनके वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची कीं विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रकिया में, सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए इसका कारण अभिलिखित करेगी।

19. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची के साथ समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप से ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में वर्णित पदों के लिए अनुसूची–चार के कॉलम (3) में वर्णित पदों से सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष के लिए या तब तक के लिए प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम–18 के उप–नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाए किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नही बढ़ाई जाएगी।

परन्तु यह कि, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जाएंगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्ति के नाम चयन सूची में आए हों।

परन्तु यह कि, जहाँ, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहाँ व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि रिक्तियाँ संभवतः तीन मास से अधिक अवधि के लिए नहीं है।

(2) साधारणतः ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, की नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

क्रमांक एफ 2–115/दो-गृह/रापुसे/09.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 29–07–2010 का हिन्दी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम–5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सरल कमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान		नियुक्ति प्राधिकारी
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	निरीक्षक कार्टोग्राफर	01	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	पुलिस महानिरीक्षक
2.	निरीक्षक फोटोग्राफर	03	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	पुलिस महानिरीक्षक
3.	उप–निरीक्षक कार्टोग्राफर	–	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200	उप पुलिस महानिरीक्षक
4.	उप–निरीक्षक फोटोग्राफर	04	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200	उप पुलिस महानिरीक्षक
5.	उप निरीक्षक एम.ओ.बी.	03	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200	उप पुलिस महानिरीक्षक
6.	सहा0 उप निरीक्षक फोटोग्राफर	01	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	5200–20200	2400	उप पुलिस महानिरीक्षक
7.	प्रधान आरक्षक एम.ओ.बी.	04	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	5200–20200	2200	पुलिस अधीक्षक

अनुसूची–दो

(नियम–7 देखिए)

सरल कमांक	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	निरीक्षक कार्टोग्राफर	——	——	100 प्रतिशत
2.		निरीक्षक फोटोग्राफर	3	——	100 प्रतिशत
3.		उप निरीक्षक कार्टोग्राफर	——	100 प्रतिशत	——
4.		उप निरीक्षक फोटोग्राफर	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.		उप निरीक्षक एम.ओ.बी.	——	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.		सहा0 उप निरीक्षक फोटोग्राफर	——	——	100 प्रतिशत
7.		प्रधान आरक्षक एम.ओ.बी.	——	——	100 प्रतिशत

अनुसूची–तीन

(नियम -9 देखिए)

सरल कमांक	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित उप निरीक्षक कार्टोग्राफर/फोटोग्राफर/ए म.ओ.बी.) सेवा	उप निरीक्षक कार्टोग्राफर	24 वर्ष	33 वर्ष	शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि
2.		उप निरीक्षक फोटोग्राफर	24 वर्ष	33 वर्ष	शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि एवं मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी/ विडीयोग्राफी में डिप्लोमा
3.		उप निरीक्षक एम.ओ.बी.	24 वर्ष	33 वर्ष	शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए या एमसीए उपाधि

अनुसूची–चार
(नियम–17 देखिए)

सरल कमांक	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति क गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	उप–निरीक्षक कार्टोग्राफर	निरीक्षक कार्टोग्राफर	5 वर्षों की निरन्तर सेवा	1. पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– अध्यक्ष 2. उप पुलिस महानिरीक्षक (दो) (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– सदस्य
2.		उप–निरीक्षक फोटोग्राफर	निरीक्षक फोटोग्राफर	8 वर्षों की निरन्तर सेवा 6 वर्ष– सीधी भर्ती किए गए वे जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 6 वर्षों की निरन्तर सेवा कर ली हो 5 वर्ष विभागीय पदोन्नत, 4 वर्ष– विभागीय पदोन्नत किए गए वे जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 वर्षों की निरंतर सेवा कर ली हो।	1. पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) अध्यक्ष 2. उप पुलिस महानिरीक्षक (दो) (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– सदस्य
3.		सहा0 उप–निरीक्षक फोटोग्राफर	उप–निरीक्षक फोटोग्राफर	3 वर्ष	1. पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– अध्यक्ष 2. उप पुलिस महानिरीक्षक (दो) (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– सदस्य
4.		प्रधान आरक्षक एम.ओ.बी.	उप–निरीक्षक एम.ओ.बी.	8 वर्षों की निरन्तर सेवा	1. वरिष्ठतम उप पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– अध्यक्ष 2. अन्य दो (पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित)– सदस्य

टीपः– सहायक उप–निरीक्षक (एम.ओ.बी.) का पद न होने पर प्रधान आरक्षक एम.ओ.बी को उप–निरीक्षक एम.ओ.बी. के रूप में पदोन्नति के लिए सीधे नामांकित किया जा सकता है।

Raipur, the 29th July 2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Police Executive (Class-III Non-Gazetted Sub Inspector Cartographer/Photographer/MOB) Services, namely:-

RULES

1. **Short title,extent and commencement.** – (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Police Executive (Class-III Non-Gazetted Sub Inspector Cartographer / Photographer /M.O.B) Service Recruitment Rules, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means Authority specified in Schedule-I;

(b) "Selection Committee" means a Selection Committee constituted by the Head of Department for the purposes of recruitment under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 6;

(c) "Examination" means Competitive Examination conducted for the recruitment under rule-11;

(d) "First Phase" means physical measurement and physical proficiency test;

(e) "Second Phase" means interview;

(f) "Schedule" means schedule appended to these Rules;

(g) "Scheduled Castes" means Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of the citizens as specified in Notification No. F-8-5- XXV-4-84, Dated 26 December, 1984 as amended from time to time;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh;

(k) "Service" means the Chhattisgarh Police Executive Class-III, Non-Gazetted) Sub Inspector Cartographer /Photographer /M.O.B) Service;

(l) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(m) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rule shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**- The Service shall consist of the following persons namely:-
(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively post specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and Scale of Pay etc.** - The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Selection Committee.**- (1) The Constitution of Selection Committee for the purpose of direct recruitment under this sub-rule shall be made by the Director General of police as under :-

I. Inspector General of police nominated by the Director General of Police. - Chairman

II. The Rank of two Deputy Inspector General of police- nominated by the Director General of Police. Member

Provided that, atleast one member of the Selection Committee shall be compulsorily from Scheduled Castes or Scheduled Tribes. In case of non availability of officer at the level of Inspector General of Police then an officer of the equivalent grade can be kept.

(2) Sub-Committees.- Sub-Committees may be constituted as necessary by the chairman of the committee for Physical Measurement and Physical Efficiency Test and for keeping record of measurements. The members of this committee shall be responsible for the authenticity for maintaining the records of Exhibition/Valuation. The selection committee shall be free to re-conduct measurements in the suitable requisite cases.

7. **Method of Recruitment.**- (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By the direct recruitment by Selection through competitive examination conducted by the Selection Committee as specified in Schedule-IV;

(b) By promotion of such member of the service, as specified in Schedule-IV.

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in

such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage mentioned in Schedule–II, of the number of posts, specified in the Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribe.

(5) Candidates desiring for recruitment should submit an application in the form prescribed by the Government to the D.I.G of Police (C.I.D), P.H.Q Raipur concerned for competitive examination to be admitted in the selection procedure.

(6) The candidate must specifically mentioned, in the application form for recruitment, the name of posts for which he desires to be recruited. In case of joint recruitment procedure, one candidate can submit one application for one post.

(7) Giving wrong information or hiding of any factual information in the application form by the applicant shall be deemed to be disqualification. On such act the candidate shall have no right of appointment or to be continue in service under the Government and consequently, his services shall be terminated forthwith by the Appointing Authority without giving any notice.

(8) The procedure of Selection by the competitive examination under clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows, namely :-

(i) Measurement of Physical Standard.- The physical test of the candidate shall be made according to the minimum qualifications as specified in sub-rule (3) of rule-9.

NOTE: - In case of any dispute with regard to physical measurement, the decision of the Chief Medical Officer of the District shall be final.

(ii) Checking of the documents shall also be completed at the time of submission of the Application Forms and if found correct, the physical measurement of the concerning candidates shall be conducted forthwith as per rule 9 (3), (a) to (d) [excluding vision test and other tests related to eyes] and the letter of permission to appear in next stage of selection process shall be given to the candidates who are found fit in physical measurement.

(iii) Candidates shall be permitted to appear in physical proficiency test who are found fit in the physical measurement.

(iv) Physical Proficiency Test:-

3 kilometers Running/walking in time fixed for male candidates is 30 minutes and 45 minutes for female candidates.

This event shall be of qualifying in nature.-
Physical measurement shall again be conducted during physical proficiency Test, as per clause (a) to (d) of rule 9 (3).

The candidates who will qualify and complete the events of 3 kilometers Run/Walk in fixed time limit will be eligible to appear for interview.

This event shall be of qualifying in nature and no marks shall be given for above events.

(v) Interview.- Interview shall be of 100 marks.

(vi) Bonus Marks.- Candidates possessing special qualifications mentioned below are given as 10 bonus marks for each qualification. However, the total number of bonus marks shall not exceed 20 marks i.e. candidates possessing more than two special qualifications will be given as 20 bonus marks only. These bonus marks will be in addition to the marks prescribed for interview.

(a)	NCC - 'C' Certificate	For All Posts
(b)	Practical experience of the 03 years photography/videography from any Government recognized institution.	For SubInspector (Photographer)
(c)	Certificate/Diploma in Computer Graphics Software for the recognized institute of Government of Chhattisgarh.	For SubInspector (Cartographer)

8. **Appointment to the Service.**- After commencement of these Rules, all the appointments to the service shall be made by Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule-6.

9. **Conditions for eligibility of Candidates for Direct Recruitment.**- (1) The following conditions must be fulfilled for the eligibility of candidate, i.e.:-

(i) Such candidates who are working or have completed minimum one year of service in any post of Police Department can only submit application for the post of Sub Inspector (MOB).

(ii) The applicant must be a bonafied (local) resident of Chhattisgarh State.

(iii) Candidate will not be eligible for the appointment in service post who has more than two living children and out of which one has born on 26th January, 2001 or thereafter.

(2) **Age.**- (a) He must have attained the age as specified in Column (4) of Schedule–III and not attained the age specified in Column (5) of the said Schedule, on the day of January next following the date of issue of advertisement;
(b) The upper age limit shall be relaxed up to maximum of 5 years; if a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes;
(c) The upper age limit shall also be relaxed, for those candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government, but they are not otherwise disqualified from joining Government service to the extent and subject to the conditions as specified below:-

(i) Any candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) Any candidate holding a post temporarily and applying for any other post, should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employee, work-charged employees and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

EXPLANATION:- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the number of employees not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

EXPLANATION:- The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and has been employed continuously for a period of not less than six months under Government of India and who has been retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in number of employees not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:

(1) Ex-serviceman released under mustering out concession;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on:

(a) Completion of short term engagement.

(b) Fulfilling the condition of enrolment.

(3) Officers (Combatant or non-combatant) including Short Service regular Commissioned Officers discharged from service on completion of their contract;

(4) Officers discharged from service after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(5) Ex servicemen Invalidated from service due to disability;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(e) The upper age limit shall also be relaxed up to two years in respect of Green Card Holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The General upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Sahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchand Banjdev Award, and National Youth Award holder candidates;
(h) The upper age limit shall be relaxable, upto a maximum 38 years of age in respect of candidate who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Board;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned Officers of Home-Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note:- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(3) Physical Qualification.- The candidates must possess the following physical qualifications:-

(a) Height : 168 cms. or more (for male candidates)
153 cms. or more (for female candidates)

(b) Chest : 81 cms. without expansion
86 cms. after expansion

(candidates must attain the difference of 5 cms between un-expanded and expanded chest. There will be no relaxation on this subject. Female candidates are exempted from this physical qualification.)

(c) Candidates should not be physically handicapped.

(d) Candidates should not have "Knock-Knee", "Flat Foot". Eligibility criterion in respect of knock knee and flat foot is compulsory for all posts. Candidates should be medically fit. Candidates should not have any vision defect. Vision of

eyes without spectacle should not be less than 6/6 of one eye and 6/9 of the other eye. Candidates should be able to differentiate between main colours.

(4) Educational Qualifications:- The Candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III:

Provided that in exceptional cases, the Committee may on recommendation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any qualifications prescribed in this clause but has passed examinations conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Committee justifies the candidate as eligible for the examination/selection.

Provided further that candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities, if such universities are specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Committee.

10. **Disqualification.**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for is candidature by any means may be held by the Selection Committee to disqualify him for appearing in the examination/selection.

11. **Appointing authority's decision as to eligibility of the candidates shall be final.**– The decision of the Committee as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Committee shall be allowed to appear in the examination/interview.

12. **Direct recruitment by competitive examination/selection.**- (1) Direct Recruitment by Competitive Examination:-The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(2) Direct recruitment by selection.- (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time, determine.
(ii) The Selection of candidates to the service shall be made by the Selection Committee on the basis of interview.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule-13 irrespective of their relative ranks with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, under sub-rule (3).

(6) 30 percent compartment-wise and horizontal reservation shall be made for female candidates as per Government instructions:

Provided that department may after prior permission of the Cabinet reduce the Percentage of appointment up to 10 percent.

13. **List of Candidates Recommended by the Committee.-** (1) The committee shall forward to the Appointing Authority, a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as fixed by committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of this rule and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. Candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list. Apart from the existing vacancies, a waiting list of 25 percent of the posts shall be prepared complying the rules of reservation.

(3)The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

14. **Appointment in Service from Selection List.-** (1) Final Merit List for direct recruitment of (Sub-Inspector Cartographer/Photographer /M.O.B) shall be prepared on the basis of marks obtained in interview and bonus marks. Appointments shall be made as per the Merit List subject to the availability of the posts.

(2) Comparative seniority of candidates who have obtained equal total marks shall be determined on the basis of their date of birth, if date of birth are also equal then shall be determined on the basis of their role number. Candidate of higher age shall be considered senior.

(3) The Select List issued by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of its issue.

15. **Probation Period and Trial.-** (1) The Character verification shall be done in respect of each selected candidate. A successful candidate whose name appears in the select list (merit list) shall be appointed on probation of two years, if the character verification report and medical report is favourable. If a candidate who is proposed for appointment on probation does not appear at the place and date specified, name of such candidate can be removed from select list by the order of Director General of Police and competent authority can issue order of proposal for appointment of such candidate whose name is just below in the merit list and who is found suitable for this proposal otherwise.

(2) On admission to training, each candidate will have to deposit estimated cost of the uniform articles and caution money as prescribed by the State Government. Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will have to deposit only the caution money.

(3) After appointment, prescribed training shall be given in specified training institutions and other units. Probation period could be extended if the candidate fails in prescribed written, oral

and practical examination and does not attain prescribed standards laid down from time to time in pursuance of training objectives or he may be discharged from service.

16. **Appointment by Promotion.**- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no member representing Scheduled Castes; Scheduled Tribes and Other Backward Classes among the members nominated for the departmental promotion committee other than the presiding officer, than another officer of an equivalent rank will be included in the DPC and the strength of DPC may be extended upto required limit.

(2) The Committee shall ordinarily meet at least once a year.

(3) 16 percent and 23 percent of the available vacancies for promotion in such posts, in which the percentage of promotion is 25 % or more as specified in Schedule-II, shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with provisions of rule-17.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by in the General Administration Department of the Government from time to time.

17. **Conditions of Eligibility for Promotion.** - (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (5) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with provision of sub-rule (2).

(2) There shall be no zone of consideration, in those cases where the promotion is to be made on the basis of seniority cum merit subject to fitness or on the basis of seniority excluding the persons found unfit. Only such number of cases of Government servants will be taken into consideration as are sufficient to fill up the vacancies occurring in each category during the next one year.

18. **Preparation of List of Suitable Candidates.**- (1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule-17 above and, as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.
(2) The selection to be included in such list shall be based on seniority with due regard to merit and suitability in all respects.
(3) The names of the officers/employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

EXPLANATION:- A person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for proposed supersession.

19. **Select List.-** (1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into consideration the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall, form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for one year or until, it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule-18 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the departmental promotion committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

20. **Appointment to the Service from the Select List.-** (1) Appointment of person included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall be made in the order in which the name of such person appear in the select list:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the departmental promotion committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and Saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

SCHEDULE–I
(See Rule-5)

Classification of the Service, Pay Scale and number of Post included in the Service.

Sl. No.	Name of the posts included in Service	Total no. of Post Sanctioned	Classification of posts	Pay Scale		Appointing Authority
				Pay Band	Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inspector Cartographer	01	State Police Service Class III	9300-34800	4300	Inspector General of Police
2.	Inspector Photographer	03	.....do.......	9300-34800	4300	Inspector General of Police
3.	Sub Inspector Cartographer	--	.....do.......	9300-34800	4200	Deputy Inspector General of Police
4.	Sub Inspector Photographer	04	.....do.......	9300-34800	4200	Deputy Inspector General of Police
5.	Sub Inspector M.O.B	03	.....do.......	9300-34800	4200	Deputy Inspector General of Police
6.	Assistant Sub Inspector Photographer	01	.....do.......	5200-20200	2400	Deputy Inspector General of Police
7.	Head Constable M.O.B	04	.....do.......	5200-20200	2200	Superintendent of Police

SCHEDULE – II
(See Rule-7)

Sl. No	Name Of Department	Name of the posts included in Service	Total no. of Duty Post	Percentage of the number of duty posts to be filled in	
				By direct recruitment	By promotion of working members of service.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Department	Inspector Cartographer	-	-	100 %
2.		Inspector Photographer	3	-	100 %
3.		Sub Inspector Cartographer	-	100 %	-
4.		Sub Inspector Photographer	2	50 %	50 %
5.		Sub Inspector MOB	-	50 %	50 %
6.		Assistant Sub Inspector Photographer	-	-	100 %
7.		Head Constable. MOB	-	-	100 %

SCHEDULE -III
(See Rule - 9)

Sl. No	Name of Service	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chhattisgarh Police Executive (Class -III Non-Gazetted Sub-Inspector Cartographer/ Photographer /M.O.B) Service	Sub Inspector Cartographer	24 Years	33 Years	Degree in Civil Engineering from Government or any recognized University
2.		Sub Inspector Photographer	----do----	----do----	Bachelor Degree in Science from Government or any recognized University And Diploma in Photography /Videography from recognized Institute.
3.		Sub Inspector MOB	----do----	----do----	B.C.A. or M.C.A Degree from Government or any recognized University.

SCHEDULE.-IV
(See Rule - 17)

Sl. No.	Name of Department.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Required minimum period of service for promotion	Composition of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Department	Sub Inspector Cartographer	Inspector Cartographer	Continuous service of 5 years.	1.Inspector General of Police. (Nominated by Director General of Police) - Chairman. 2.DIG (Two) (Nominated by Director General of Police).- Members.
2.		Sub Inspector Photographer	Inspector Photographer	Continuous service of 8 years. 6 years directly recruited those who rendered 6 years continuous service in Naxalite Affected Areas. 5 years Departmental Promoted. 4 years Departmental Promoted those who rendered 4 years continuous service in Naxalite Affected Areas.	1.Inspector General of Police. (Nominated by Director General of Police)- Chairman. 2.DIG (Two) (Nominated by Director General of Police) - Members.
3.		Assistant Sub-Inspector Photographer	Sub Inspector Photographer	3 years	1 Inspector General of Police. (Nominated by Director General of Police) - Chairman. 2. DIG (Two) (Nominated by Director General of Police) - Members
4.		Head Constable MOB	Sub-Inspector MOB	Continuous service of 8 years.	1..Senior Most Deputy Inspector General of Police (Nominated by Director General of Police) - Chairman. 2 Others two (Nominated by Director General of Police. - Members

Note:- Since there is no post of A.S.I (MOB),therefore Head constable M.O.B can be directly nominated for promotion as Sub Inspector M.O.B.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.